अति तत्काल/ आर टी आई मामला

संख्या/ए-II/551/7/2015
विदेश मंत्रालय
पश्चिम अफ्रीका प्रभाग

सेवा मे,

श्री सत्यनारायण प्रसाद,
एबी 431/2, अमरपुरी,
नबीकरीम, नई दिल्ली-110055.

दिनांक: 19.3.2015

विषय: श्री सत्यनारायण प्रसाद का दिनांक 9.2.2015 का आर टी आई आवेदन, जिसे प्रधान मंत्री कार्यालया द्वारा पत्र संख्या आरटीआई/2491/2015- पीएमआर दिनांक 20/2/2015 द्वारा स्थानांत्रित किया गया (विदेश मंत्रालय मे 27.2.2015 को प्राप्त हुआ, बिन्दु संख्या 1 और 2 के संबंध में)।

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवेदन संख्या दिनांक 9.2.2015 (प्रधान मंत्री कार्यालया द्वारा पत्र संख्या आरटीआई/2491/2015- पीएमआर दिनांक 20/2/2015 द्वारा स्थानांत्रित किया गया), का संधर्भ लें।

2. बिंदु संख्या 1 की जानकारी इस प्रभाग मे उपलब्ध नहीं है।

3. बिन्दु संख्या 2 इस प्रभाग से संबन्धित नहीं है।

४. यदि आपको इस उत्तर से कोई शिकायत हे तो आप श्री संजीव कोहली, संयुक्त सचिव (पश्चमी अफ्रीका) और प्रथम अपीलीय अधिकारी , विदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू भवन, 23-डी जनपथ, नई दिल्ली-11 को इस पत्र की प्राप्ति के एक महीने के भीतर अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(जसविंदर सिंह)
उप सचिव एवं सीपीआईओ
कमरा सं 0155 (बी ब्लॉक), भूतल,
जवाहरलाल नेहरू भवन, 23-डी, जनपथ,
नई दिल्ली-110011
दूरभाष: 4918386

प्रतिलिपि निमंलिखित को:

1. श्री पी के शर्मा, अवर सचिव एवं सीपीआईओ, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, न.दिल्ली।
2. श्रीमति मीरा सीसोदिया, उप सचिव(आरटीआई), विदेश मंत्रालय।
3. डॉ सुमित सेठ, उप सचिव(डीडी), विदेश मंत्रालय।
4. श्री उपेंद्र सिंह नेगी, प्रचार अधिकारी (एक्सएमएम), विदेश मंत्रालय।

(जसविंदर सिंह)
उप सचिव एवं सीपीआईओ

3452/FS/15
सूचना का अधिकार 25-2-15
490/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/2491/2015-पीएमआर

दिनांकः 20/02/ 2015

डायरी संख्या Dy No. 1334 /RTI Sec/2015
दिनांक/Date 2/03/15

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री सत्यनारायण प्रसाद से प्राप्त दिनांक 9.2.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 16.2.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी0के0 शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली

बिन्दु संख्या 1 और 2 के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री सत्यनारायण प्रसाद
ए.बी.431/2, अमरपुरी, नबीकरीम
नई दिल्ली - 110 055

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। बिन्दु संख्या 3,5 और 6 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपका अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत दी गई सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। बिन्दु संख्या 4 के संबंध में सूचित किया जाता हैं कि आपके दिनांक 11.11.2014 के आवेदन पत्र का जबाव इस कार्यालय के दिनांक 25.11.2014 द्वारा पहले ही भेजा जा चुका हैं(प्रति संलग्न 1 पृष्ठ)और अपील का निस्तारण पीएमओ के पत्र दिनांक 13.1.2015(प्रति संलग्न) के द्वारा भी किया जा चुका हैं।

24/2/15
US (RTI)

Territorial Divs.

27/2

2491/15 2491 18/2/2015

PRIME MINISTER'S OFFICE
16 FEB 2015
DAK SECTION

PARIVAR NIYANTRAN SAMITI

Office: AB 431/2, Amarpuri, [...] New Delhi-110055

Adhyaksh	कमल पुष्प आसन	Secretary	Tresurer
Satya Narayan Prasad		....	....
Contact No. 9 3 1 3 3 9 3 8 2 2	वन्दे भारत मातरम्	Email : onefamily_onechild@yahoo.com	

सेवा में,

दिनांक: 09.02.2015

जनसूचना अधिकारी
प्रधान सेवक का कार्यालय
साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली।

विषयः जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतू आवेदन।

महोदय,

दिनांक 11.11.2014 को जनसूचना अधिकारी को लिखे आवेदन का सान्दर्भ में दूसरा आर.टी.आई. पत्र।

नोटः– मैंने दिनांक 11.11.2014 को जनसूचना अधिकारी को लिखे आवेदन में रूपये 20 का पोस्टल आर्डर लगाया था, कृपया उक्त राशि से बचे 10/– रूपये की रसीद भेजें या इस पत्र की सूचना देने में उपयोग करें। फिर भी 10 रूपये की पोस्टल आर्डर भेज रहा हूँ।

प्रार्थी निम्न सूचना चाहता हैः–

1. भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने कितने विदेशी कम्पनियों से, कितने वर्षों के लिए भारत में निवेश करवाया था?
2. वर्तमान प्रधान सेवक मि. नरेन्द्र दामोदर मोदी दास उर्फ भारत माँ का अपमान करने वाला ने जापान से, चीन से, अमेरिका से, किस आधार/शर्त पर तथा कितने दिनों के लिए व्यापारिक व अन्य समझौते किये हैं? यदि भारत जापान, चीन व अमेरिका को समझौता तोड़कर बीच में व्यापार छोड़कर जाने को कहे तो उसके लिए भारत को किस प्रावधान का पालन करना होगा? सही सूचना देते हुए जापान, चीन व अमेरिका से की गयी [तीनों देशों (भारत–जापान, भारत–चीन, भारत–अमेरिका)] समझौते की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
3. ये भी सूचना दें, दिनांक 26 मई 2014 से आज तक कितने भारतीयों ने प्रधान सेवक मार्क करके वर्तमान प्रधान मंत्री/सेवक को पत्र लिखें है।
4. सूचना दें कि दिनांक 11.11.2014 को जनसूचना अधिकारी को लिखे गये पत्र में प्रधान मंत्री कार्यालय से सम्बन्धित सूचना क्यों नहीं दी गयी? क्या उस आवेदन के 15 सवाल में से एक भी प्रधान मंत्री कार्यालय से सम्बन्धित नहीं था? स्पष्ट सूचना दें।
5. आप जनसूचना अधिकारी कहते हैं सम्बन्धित प्राधिकरण से सूचना मांगें। तो सम्बन्धित प्राकिरण की जानकारी कैसे मिले, जबकि आपके पास सम्बन्धित प्राकिरण की सूची नहीं है?
6. आप सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों की सूची उपलब्ध कराने में असमर्थ हो तो आम पब्लिक कहां सम्पर्क करें? जबकि आम आदमी अंगुठा छाप होती है लेकिन आप उँच्च शिक्षितों में से आते हैं। यदि उच्च शिक्षित नहीं है तो बतायें।

निर्धारित 30 दिन के भीतर सूचना देते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम भी बताएं।

संलग्न हैः

1. दिनांक 11.11.2014 को लिखे गये आवेदन पत्र की प्रतिलिपि। जिस पर पी.एम.ओ. कार्यालय से सम्बन्धित सूचना भी नहीं दी गयी है। प्रथम अपील पर भी सूचना नहीं दी गयी।
2. रूपये 10 का पोस्टल आर्डर।

URGENT
RTI ACT
Diary No. 28906
& Date 16/2/15
Last Date 28/2/15

एक भारतीय

सत्यनारायण प्रसाद

ए.बी. 431/2, अमरपुरी, नबीकरीम, नई दिल्ली–110055, सम्पर्क सुत्र– 9313393822

IPO No 29F 734123 of Rs 10/